Kerala during the period 1991-92 to 1995-96 was as follows:-

Year	Amount (Rs. in crores)
1991-92	152.73
1992-93	159.79
1993-94	173.29
1994-95	215.21
1995-96	202.87

The annual report for 1996-97 will be prepared in due course.

बलात्कार से प्रभावित युवतियों के संरक्षण हेतु उठाए गए कदम

1612. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में युवतियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार हुई बलात्कार की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे मामलों में गोपनीय सुनवाई करवाए जाने के उद्देश्य से विधान लाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है; और

(ङ) बलात्कार से प्रभावित युवतियों के संरक्षण हेतु सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) वर्ष 1993—95 के दौरान युवतियों के साथ बलात्कार की वारदातों की संख्या के संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) चूंकि जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय प्रशासन संबंधित उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों के परिप्रेक्ष्य में आता है, इसलिए ऐसी कोई प्रणाली विकसित करना उन्हीं का काम है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बलात्कार के मामलों की सुनवाई या तो अलग से विशेष न्यायालयों की स्थापना करके या विद्यमान न्यायालयों में किसी महिला जज या मजिस्ट्रेट को पीठासीन अधिकारी बनाकर गुप्त रूप से की जाए। राज्य सरकारें अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से ऐसे न्यायालय स्थापित करने में सक्षम है।

(ङ) बलात्कार शिकार युवतियों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए यथावश्यक उपयुक्त उपाय करना राज्य सरकारों से अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को पत्र भेजकर इस आवश्यकता के बारे में उन पर जोर देती रही है कि महिलाओं के प्रति अपराधों के संबंध में निवारक दंडात्मक तथा पूर्नवासात्मक उपाय किए जाए। गृह मंत्री ने भी 12 सितम्बर, 1996 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सलाह दी है कि महिला एकक, काउंसिलिंग सेंटर व शरणगृह आदि की स्थापना करने जैसे विभिन्न उपाय करने पर विचार किया जाए।

विवरण

वर्ष 1993-95 के दौरान युवतियों (10-16 और 16-30 आयु वर्ग) के बलात्कार की घटनाएं।

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993 (10-16)	1993 (16-30)	1994 (10-16)	1994 (16-30)	1995 (10-16)	1995 (16-30)
	राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	238	430	288	433	245	412
2.	अरूणाचल प्रदेश	11	18	12	11	0	17
3.	असम	85	361	119	308	140	358
4.	बिहार	213	701	198	722	320	739
5.	गोवा	7	3	2	5	8	8
6.	गुजरात	79	170	93	186	79	174

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993 (10-16)	1993 (16-30)	1994 (10-16)	1994 (16-30)	1995 (10-16)	1995 (16-30)
7.	हरियाणा	73	99	90	114	85	167
8.	हिमाचल प्रदेश	28	48	30	61	35	51
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6	85	2	72	11	92
10.	कर्नाटक	72	110	72	161	57	153
11.	केरल	44	132	53	115	89	144
12.	मध्य प्रदेश	590	1491	712	1680	828	1710
13.	महाराष्ट्र	371	583	399	705	386	702
14.	मणिपुर	0	4	0	2	1	9
15.	मेघालय	2	15	7	24	1	10
16.	मिजोरम	14	19	15	23	4	27
17.	नागालैण्ड	0	8	0	16	0	13
18.	उड़ीसा	53	271	66	288	97	369
19.	पंजाब	24	46	34	52	25	50
20.	राजस्थान	102	561	129	644	98	680
21.	सिक्किम	2	3	1	4	3	0
22.	तमिलनाडु	31	184	23	179	37	193
23.	त्रिपुरा	21	30	12	32	16	37
24.	उत्तर प्रदेश	433	1053	467	1205	408	1037
25.	पश्चिम बंगाल	122	498	270	302	282	374
	कुलः	2621	6923	3094	7338	3255	7526
	संघ शासित क्षेत्र						
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	3	0	2	0	3
27.	चंडीगढ़	2	2	1	1	0	2
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	1	0	0
29.	दमन और दीव	0	1	0	1	1	1
30.	दिल्ली	132	107	146	98	63	219
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	3	2	2	1	1	1
	कुल संघ शासित क्षेत्र	138	115	150	104	65	226
	कुल अखिल भारतीय	2759	7038	3244	7442	3320	7752